चन्द्रराज बनाम श्रीचन्द्र वगैरह

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>मु० क्र० - 845/2017 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|
| 19-3-18 से अवकाश होनेपर<br>दिनांक 3-4-18 को पेश हो।<br>Vimal | |
| 18 दिनांक 19-4-18 को पेश हो। | |
| -4-18 दिनांक 26-4-18<br>Vimal | |
| 26/5/18 राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान<br>न्याय आपके द्वार वर्ष-2018<br>संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (16) राज-1/2016 दिनांक - के अनुसार एवं जिला कलक्टर महो. सीकर के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार में फरवरी पूर्व नियम तारीख तक 22/12/17 तक लम्बित प्रकरण पेश हुए। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में फरावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाती है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थान फतेहपुर पेश हो। 22/5/18 को दिनांक — को पक्षकारों को सूचना दिया जावे। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर लम्बित प्रकरण हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को उपस्थित रखी जावे।<br>Gm | राज्य सरकार की पक्षकारी पहचान हो<br>Gm |
| 22/5/18.<br>न्याय आपके द्वार 2018.<br>फरावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी 1, 2, 4 उपस्थित है. पक्षकारान द्वारा पूर्व में लिखित में राजीनामा पेश हो चुका है. उक्त सारा ही फरावली में दर्ज है. पूर्व समझौता समय 2020 से 2023 तक<br>Gm | चन्द्रराज<br>अनिल<br>जगदीश<br>रामेश्वर |

Scanned by CamScanner

चन्द्रराम बनाम हरचन्दी वगैरह

मु० न० - 845/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | विलोचपुरा अनुसार, बनोड़ पुत्र कुमा का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। जो अर्जेदार का हिस्सा पाँचवा बनोड़ के साथ-साथ उनके दोनों भाईयों गज्जु व रिड़मल का आगा-अलग हिस्सा शामलात में रहा है। जो सर्वे आराजी के कारण अकेले बनोड़ के नाम हो गया। |
| | दिनांक 11.2.17 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम श्रीमाधोपुरा, सिकरी के धारा 121, 127, 148 भा०द०वि० 157, 159, 160, 190 भा०द०वि० 194, 194/95, 195 भा०द०वि० 203, 205 भा०द०वि० 208 मु०वि० 33 रक्बा 18.698 है० राजस्व रिकार्ड की 1/8 हिस्सेदारी भूमि में बजोड़ पुत्र कुमा का नाम इन्द्राज है। प्रतिवादीगण 1 से 7 का 1/24 हिस्सा व वादी 1 से 3 व 5 पुत्र रिड़मल का 1/24 हिस्सा व वादीगण 2 व 4 पुत्री रामाराम का 1/24 हिस्सा घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को वादी के स्वामी निर्वाध का पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि को अपने कब्जे में रखकर काश्त न करें। उक्त अनुसार डिक्री जारी होकर नस्ती जारी है। |
| | पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के कमरे में जमा शामिल रखकर रहे। नियम अनुसार 22/5/18 को RLA, NAOA 2018 कम्प्यूटर सिकरी के माध्यम से फैसले दर्ज किया गया। |
| | (ओम प्रकाश मीणा)<br>ACEM (FT)<br>श्रीमाधोपुर, सीकर |

Scanned by CamScanner